बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि २ मार्च १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने में बृहस्पतिवार तिथि २ मार्च १९५० को ११ बजे पुर्वाह्न में उपाध्यक्ष श्री देवशरण सिंह के सभापतित्व में हुआ।

है। आप को समझना चाहिये कि एशिया के मुल्कों के लिए western type of democracy suite नहीं करती है। हां, अगर आप भले ही राजा की शकल अख्तियार करके और उसके बाद में हुकूमनामा जारी करें तो शिकायत नहीं होगी, मगर यह जो अभी आप का ढोंग है वह एक दम बेइमानी है।

आपने जो यह principle house के सामने रखा है कि चूंकि मेरे पास में गारण्टी का confidence है इसलिए पब्लिक exchequer का रुपया जिस तरह चाहे खर्च कर सकते हैं यह गलत है। एक मामूली भिखमंगा भी कोर्ट में जाकर sue कर सकता है। उस समय आप के सामने confidence का सवाल नहीं आयेगा बल्कि justification of expenditure का सवाल आयेगा। आप इस वक्त अपनी ताकत के नशे में जो कुछ कर रहे हैं यह democracy के लिए मौज नहीं है। यह तो autocracy की चीज हो जाती है। फलदार दरख्त पर जब फल लगता है तो वह और झुकता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप जनता की हालत पर रहम कीजिये और मैं अर्ज करूंगा कि पांच हजार से ज्यादा discretionary grant के नाम पर नहीं लें। इतना कह कर मैं अपना कटमोशन को press करता हूं।

Deputy Speaker : The question is :

That the item of Rs. 65000/- for discretionary grants at the disposal of the Hon'ble Ministers be reduced by Rs. 60,000/-

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष—चन्द माननीय मेम्बरों का नाम पुकारा मगर किसी ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया।

श्री सैयद अमीन अहमद : अगर Deputy Speaker इजाजत दें तो मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो Motion आया मैं Move कर दूं।

उपाध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। जिस मेम्बर में जो प्रस्ताव है वही उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके नाम जो प्रस्ताव होगा वही आप प्रस्तुत कर सकते हैं।

साहाय्य तथा पुनर्वास। Relief and rehabilitation

Mr. Saiyed Amin Ahmad : Sir, I beg to move That the d mand of the 8,91. 388 for General Administration be reduced by Re 1/-

(To discuss the vag ieness of the Relief and Rehabilitation Department)

एक माननीय सदस्य : जनाब सदर—इस Cut motion में जो Purpose लिखा हुआ है। वो Vague है।

माननीय श्री अब्दुल कयूम अंसारी : माननीय सैयद अमीन अहमद की जितनी Speeches होती हैं वे Vague होती हैं। इसी तरह इसको भी Vague ही समझते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद : अफसोस है कि हकदार को रुपया नहीं देना relevant है। और देना irrelevant है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको देखने से मालूम होता है कि वह इसको पेश नहीं कर सकते क्योंकि यह नियमानुकूल ही है।

कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहते वे उठकर कह दें कि हम इसको पेश नहीं करेंगे।

चौतरवा डोम सेटलमेण्ट में अव्यवस्था।
Mismanagement in the Chautarwa Dom settlement

Mr. Saiyid Amin Ahmed : Sir I beg to move that the provision of Rs 11320/- for Scheduled Castes welfare Grant-in aid be reduced by Re- 1/-

जनाब सदर ये चौतरवा डोम सेटलमेण्ट के बारे में है जिसके मुतल्लिक इस house के मेम्बरों ने कई बार अपनी राय पेश की है। मगर हमारे दोस्त ने अब तक इसको नहीं उठाया है। इस मौजूदा दौर में जब की २६ जनवरी को हमारा मुल्क आजाद हो गया तो भी अफसोस है कि उनकी हालत ज्यों की त्यों रही। मालूम होता है कि यहां की हुकूमत यहां की मेम्बरों की राय की कोई वक्त अब नहीं रखती है। अगर गवर्नमेण्ट को इसका ख्याल रहता तो मुमकीन नहीं को क्रिमनल ट्राइबस एक्ट अब तक कायम रहता।

उपाध्यक्ष : पहले आप देख लीजिये कि जो आप तकरीर कर रहे हैं उसका प्रस्तुत विषय से संबंध है या नहीं। जिस चीज के मुतल्लिक जो Demand हो उसी पर बोलना चाहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : Criminal Tribes Act के मुतल्लिक हम कह रहे हैं कि अब तक नहीं हटाया गया।

उपाध्यक्ष : इसको आप कैसे कह सकते हैं ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : यह चौतरवा डोम सेटलमेण्ट के बारे में जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। वो यहां पर नहीं कह सकते हैं।